



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 27 जुलाई, 2021  
श्रावण 5, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 1302/77-3-21-502-एम०-14 टी०सी०  
लखनऊ, 27 जुलाई, 2021

अधिसूचना

प०आ०-235

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 4246/77-4-07-94भा०-07 टी०सी०, दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में अंक और शब्द "अपर गंगा नहर के दांये तट पर सनौटा सेतु (जिला बुलन्दशहर) से उत्तर प्रदेश-उत्तराखण्ड सीमा के पूर्व पुरकाजी (जिला मुजफ्फरनगर) के निकट तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे (मेरठ एयरपोर्ट लिंक, देवबन्द लिंक, मसूरी एन०एच०-24 एवं भविष्य में 25 किमी० लम्बाई के 02 लिंक), जल विद्युत गृह (नीरगाजनी, जौली, चित्तौड़, सलावा, भोला, जानी एस्केप एवं डासना), जल परिवहन सुविधा (ऐच्छिक) एवं लैण्ड पार्सल (ऐच्छिक) का विकास, क्षेत्र के सुनियोजित औद्योगिक एवं नगरीय विकास हेतु और आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना, 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना (औद्योगिक विकास क्षेत्र)', 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना (औद्योगिक विकास क्षेत्र)', 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना (औद्योगिक विकास क्षेत्र)', 'प्रयाग लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना (औद्योगिक विकास क्षेत्र)', 'गंगा एक्सप्रेसवे

परियोजना' (मेरठ से प्रयागराज तक) (औद्योगिक विकास क्षेत्र)', के पश्चात् शब्द 'बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' (औद्योगिक विकास क्षेत्र) बढ़ा दिये जायेंगे।

आज्ञा से,  
अरविन्द कुमार,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1302/LXXVII-3-21-502M-14 T. C., dated July 27, 2021:

No. 1302/LXXVII-3-21-502M-14 T. C.

*Dated Lucknow, July 27, 2021*

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 4246/LXXVII-4-07-94Bha-07 T. C., dated December 27, 2007, as amended from time to time .

#### AMENDMENT

In the aforesaid notification after the figures and words "08 Lane Access Controlled Expressway on the right bank of Upper Ganga Canal from Sanouta Bridge (District Bulandsahar) to near Purkaji (District Muzzafarnagar), before Uttar Pradesh-Uttarakhand Border alongwith Link Expressway (Meerut Airport Link, Deoband Link, Masuri NH-24 and 25 kms. long two future links), Hydro Electric Power Station (Nirgajini, Jauli, Chitaura, Salawa, Bholi, Jani escape and Dasna), Navigation Facilities (optional) and Development of Land Parcels (optional) for the planned industrial and Urban development of the area and 'Agra-Lucknow Access Controlled Expressway (Green field) Project', 'Purvanchal Expressway Project (The Industrial Development Area)', 'Gorakhpur Link Expressway Project (The Industrial Development Area)', 'Bundelkhand Expressway Project (The Industrial Development Area)', 'Prayag Link Expressway Project (The Industrial Development Area)', 'Ganga Expressway Project' (from Meerut to Prayagraj) (The Industrial Development Area)', the words 'Ballia Link Expressway Project (The Industrial Development Area)' shall be *Inserted*.

By order,  
ARVIND KUMAR,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 195 राजपत्र-2021-(385)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 7 सा0 औद्योगिक विकास-2021-(386)-250 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।